श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक – 09–10.04.2019 को राज्य के सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों के साथ लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र/ए.सी./डी.सी. विपत्र/लोक लेखा समिति की कंडिका एवं महालेखाकार का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन आदि की समीक्षा बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति पंजी के अनुसार –

विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों के साथ लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र, ए.सी./डी.सी. विपत्र/लोक लेखा समिति की कंडिका एवं महालेखाकार का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन आदि की समीक्षा बैठक विभागीय सभाकक्ष में की गई। बैठक के क्रम में निम्न निर्देश दिए गएः–

- **अव्यवहृत राशि जमा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना :–** समीक्षा के क्रम में सभी नगर निकायों के प्रधान लिपिकों/लेखापालों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2016–17 तक सहायक अनुदान मद की वैसी आवंटित राशि जिसका उपयोग अब तक नहीं किया गया है और निकायों के पी.एल./बैंक खाता में निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उस राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र अगली मासिक बैठक के पूर्व विभाग में जमा करना सुनिश्चित किया जाए।
- नगर निकायों के प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि जिन नगर निकायों में अनिकासी राशि का मामला लंबित है उसका अनिकासी प्रमाण–पत्र संबंधित कोषागार से प्राप्त कर उसका मूल अनिकासी प्रमाण–पत्र अगली मासिक बैठक के पूर्व विभाग में जमा किया जाए।
- नगर निकायों के प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि जिन नगर निकायों में व्यय के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किया गया है, कैशबुक की छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र अगली मासिक बैठक के पूर्व विभाग में जमा किया जाए।

- नगर परिषद मोहनियाँ के प्रतिनिधि को सहायक अनुदान मद से संबंधित 20 बिन्दु प्रतिवेदन में मदवार लंबित आँकड़ों को नहीं बताने पर उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें एम.आई.एस से ट्रेनिंग प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
- नगर पंचायत रफीगंज के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पी.एल. खाता में संधारित राशि नल–जल का है तथा यह कार्य पी.एच.ई.डी. द्वारा किया जाना है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि पी.एच.ई.डी. द्वारा नल जल का कार्य प्रारंभ करने में यदि विलंब हो रहा है तो उसकी सम्पूर्ण राशि को सरकार के संगत शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
- नगर पंचायत मनेर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पी.एल. खाता में संधारित राशि से High mast Light लगाया जाना है। इस संबंध में पूछा गया है कि विभाग की ओर High mast Light नहीं लगाए जाने का निदेश दिया गया है तो क्यों ऐसा किया जा रहा है। High mast Light की सम्पूर्ण राशि को सरकार के संगत शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- .नगर पंचायत जनकपुर रोड के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पी.एल. खाता में संधारित राशि सम्राट अशोक भवन का है जिसका Tender Final नहीं हुआ है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है अतः सम्राट अशोक भवन की सम्पूर्ण राशि को सरकार के संगत शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
- नगर पंचायत जोगबनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पी.एल. खाता में संधारित राशि नल–जल का है जिसका Tender हो गया है परन्तु Final नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि विलम्ब को देखते हुए सम्पूर्ण राशि को सरकार के संगत शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
- नगर पंचायत हवेली खड़गपुर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पी.एल. खाता में संधारित राशि सम्राट अशोक भवन का है जिसे चुनाव के बाद जमा करने का

आश्वासन दिया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि सम्पूर्ण राशि को सरकार के संगत शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

- .सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि रोकड़ बहीं से मिलान कर सहायक अनुदान मद से संबंधित 20 विन्दुओं का प्रतिवेदन अद्यतन कर उसे प्रत्येक माह के 25 तारीख तक निश्चित रूप से एम.आई.एस. को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

- **लंबित ए०सी० / डी०सी० विपत्र** – समीक्षा के क्रम में नगर निकायों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट किया गया कि जिन नगर निकायों में ए०सी० / डी०सी० विपत्र लंबित है उसका समायोजन कराने का उत्तरदायित्व उसी नगर निकायों का है। इसके लिए नगर निकाय के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि लंबित ए०सी० राशि का डी०सी० विपत्र BTC - 27A प्रपत्र में शीघ्र तैयार कर उसे महालेखाकार (ले०ह०), बिहार, पटना को भेजते हुए उसका समायोजन कराने हेतु किसी जिम्मेवार कर्मी को प्राधिकृत किया जाए जो महालेखाकार (ले०ह०), बिहार, पटना से सम्पर्क कर उसका समायोजन कराते हुए उससे संबंधित समायोजन पत्र अगली मासिक बैठक में विभाग को उपलबध कराया जाए।

- **लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन** – समीक्षा के क्रम में नगर निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि निम्नलिखित लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है, जो बोर्ड से पारित नहीं है। इस संबंध में चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के पश्चात बोर्ड से पारित कराकर उसे महालेखाकार (ले०प०), बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया :–

  नगर निगम– छपरा– 1022 / 2016–17, बेगूसराय– 152 / 2016–17

  नगर परिषद– नरकटियागंज– 117 / 2013–14, बीहट– 1193 / 2015–16, 650 / 2017–18, हाजीपुर– 795 / 2008–09, औरंगाबाद– 207 / 2006–07, बेतिया– 547 / 2010–11, 82 / 2013–14, फुलवारीशरीफ– 14 / 2016–17, बाढ़– 736 / 2014–15, भभुआ– 1477 / 2015–16, मोकामा– 614 / 2009–10, मधेपुरा– 169 / 2016–17, 1113 / 2017–18, अररिया– 107 / 2016–17, बेनीपुर–

754 / 2016–17, सीतामढ़ी–672 / 2017–18, बगहा– 196 / 2008–09, सुलतानगंज– 1316 / 2015–16, सीवान– 805 / 2014–15, 183 / 2016–17, सासाराम– 1132 / 2016–17, मोतिहारी– DLFA12 / 2015–16, महनार– 623 / 2010–11, फतुहा– 1249 / 2015–16, बख्तियारपुर– 1238 / 2015–16

नगर पंचायत– जगदीशपुर–10 / 2016–17, घोघरडीहा–692 / 2011–12, 284 / 2016–17,मखदुमपुर–296 / 2016–17, दिघवारा–935 / 2014–15,अरेराज– 51 / 2016–17, लालगंज– 592 / 2008–09, रफीगंज– 1275 / 2015–16, चकिया– 487 / 2009–10, पीरो– 443 / 2008–09, बैरगनिया– 287 / 2016–17, दलसिंहसराय– 288 / 2016–17, निर्मली– 340 / 2013–14, मेहसी– 1081 / 2016–17, शाहपुर– 289 / 2016–17, जनकपुर रोड– 692 / 2017–18, केसरिया–1003 / 2015–16,मढ़ौरा–253 / 2013–14,बहादुरगंज–267 / 2016–17

- पटना नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि लंबित कुल 8 अंकेक्षण प्रतिवेदनों में से दो का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है, जिसे चुनाव अचार संहिता की समाप्ति के पश्चात बोर्ड से पारित कराकर उसे महालेखाकार (ले०प०), बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
- नगर निगम बेगूसराय के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 392 / 2011–12 का अनुपालन प्रतिवेदन पूर्व में विभाग को भेजा गया था, प्राप्त नहीं होने पर उसे पुनः विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- नगर परिषद अरवल के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके परिषद कार्यालय में अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 1168 / 2016–17 उपलब्ध नहीं है जिसके लिए उन्हें बैठक के बाद कार्यवाहक सहायक से प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
- नगर परिषद बरबीघा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 687 / 2011–12 में राशि की वसूली का मामला है। वसूली नहीं होने की स्थिति में संबंधित कर्मी के विरूद्व CERTIFICATE CASE तथा F.I.R. दर्ज करने का निदेश दिया गया।
- नगर परिषद फतुहा के प्रतिनिधि को लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 02 / 2009–10 का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र तैयार कर उसे चुनाव अचार संहिता की समाप्ति के

पश्चात बोर्ड से पारित कराकर उसे महालेखाकार (ले०प०), बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

- नगर पंचायत दिघवारा के प्रतिनिधि को लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 251/2013–14 का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र तैयार कर उसे चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के पश्चात बोर्ड से पारित कराकर महालेखाकार (ले०प०), बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- नगर पंचायत मैरवा के प्रतिनिधि को लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 664/2010–11 का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र तैयार कर उसे चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के पश्चात बोर्ड से पारित कराकर महालेखाकार (ले०प०), बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- नगर पंचायत अरेराज के प्रतिनिधि को लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 160/2009–10 का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र तैयार कर उसे चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के पश्चात बोर्ड से पारित कराकर महालेखाकार (ले०प०), बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत बेलसंड में अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 388/2015–16 एवं 722/2017–18 का अनुपालन लम्बे समय से लंबित है जिसके लिए समय–समय पर स्मारित करने एवं लगातार मासिक समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेश के बाबजूद दोनों लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन में से किसी एक का भी अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है इसके लिए प्रधान लिपिक/लेखापाल का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करते हुए तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी से सपष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन SO-7)

- नगर पंचायत जयनगर के प्रतिनिधि श्री अमर कुमार सिंह, लेखापाल द्वारा बताया गया कि श्री विमल कुमार चौधरी, प्रधान सहायक द्वारा लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 285/2013–14 एवं 285/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार करने में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा तथा पूर्व की मासिक समीक्षात्मक बैठक में प्रधान सहायक उपस्थित नहीं हुए है इसके लिए प्रधान सहायक श्री चौधरी का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन SO-7)

- नगर पंचायत कटैया के प्रतिनिधि को लोक लेखा समिति एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंतर का पता नहीं होने के कारण बैठक की समाप्ति पश्चात उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें एम.आई.एस. से ट्रेनिगं प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
- लेखा मिलान – सभी नगर निकायों से शीर्षवार प्राप्ति एवं व्यय का ऑकड़ा प्राप्त होने पर विभाग के द्वारा समेकित रूप से महोलखाकार (ले० एवं ह०), बिहार के लेखा में दर्ज ऑकड़ो से लेखा मिलान किया जाना है, जिसके लिए प्रत्येक माह लेखा मिलान हेतु ऑकड़ों की मांग की जाती है, परन्तु नगर निकायों से अपेक्षित ऑकड़ा प्राप्त नहीं होने के कारण खेद व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अब तक हुए प्राप्ति एवं व्यय का ऑकड़ा शीर्षवार, मदवार एवं टी.भी. नंबर सहित उसकी सत्यापित प्रति प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा लेखा मिलान नहीं होने पर आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

<u>लोक लेखा समिति से संबंधित लंबित कंडिका</u>

- **सी.ए.जी.** का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) वर्ष 2013–14 की कंडिका 5.7 जो मोबाईल कम्पनियों व भू–स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर नगर निगम, कटिहार, नगर परिषद्, मधेपुरा, सिवान एवं बेतिया द्वारा 10 वर्षो से अधिक अवधि की लीज पर भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत तथा 10 वर्षो के लीज के मामले में भूमि के वास्तविक मूल्य का 5 प्रतिशत के दर पर मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किए जाने के कारण रु. 18.34 लाख राजस्व की हानि के संबंध में नगर निगमों/परिषद्रों के उपस्थित प्रतिनिधियों को आवश्यक साक्ष्य आधारित अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में लाने का निदेश दिया गया।
- **सी.ए.जी.** का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) वर्ष 2014–15 की कंडिका 5.10 जो मोबाईल कम्पनियों तथा भू–स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर नगर निगम, बेगूसराय, दरभंगा, नगर परिषद्, औरंगाबाद, किशनगंज, मधुबनी एवं सहरसा द्वारा 10 वर्षो से अधिक अवधि की लीज पर भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत तथा 10 वर्षो के लीज के मामले में भूमि के वास्तविक मूल्य का 5 प्रतिशत के दर पर मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किए जाने के कारण रु. 6.33 लाख राजस्व की हानि के संबंध में नगर निकायों के उपस्थित प्रतिनिधियों को आवश्यक साक्ष्य आधारित अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में लाने का निदेश दिया गया।

- **सी.ए.जी.** का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की लंबित कंडिकाओं की समीक्षा की गई तथा उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा लंबित कंडिका की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि अगली बैठक के पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सके। उक्त के आलोक में वर्षवार एवं कंडिकावार लंबित सूची को विभागीय ईमेल के माध्यम से दिनांक–14.01.19 को सभी नगर निकायों को उपलब्ध करा दिया गया है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

26.4.19

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक – 07 / विविध–03 / 2018 609 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक – 26/04/2019

प्रतिलिपि– सभी नगर आयुक्त, नगर निगम / सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

इस आशय की सूचना अपने नगर निकायों के कर्मियों / प्रतिनिधियों को देते हुए बैठक की कार्यवाही के आलोक में अनुपालन कराते हुए उससे संबंधित प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया जाए।

26.4.19

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक – 07 / विविध–03 / 2018 609 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक – 26/04/2019

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा – 07 एवं प्रशाखा – 07 के संबंधित कर्मी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

26.4.19

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग